न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 11/2026
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2026/102

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री बजरंगलाल पुत्र भूराराम जाति–जाट,निवासी–ईनाणा तहसील–मूण्डवा,जिला–नागौर		1. श्री प्रभजोतसिंह गिल सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) मूण्डवा 2. संतोष पुत्री भूराराम,जाति–जाट निवासी–ईनाणा,तहसील–मूण्डवा

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनियां राजपैरोकार उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री कैलाश गालवा उपस्थित।

:: आदेश :: दिनांक:–06.05.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश कर न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), मूण्डवा में विचाराधीन प्रकरण उनवान संतोष बनाम भूराराम व अन्य के प्रार्थना–पत्र संख्या 74/2025 की पत्रावलीयों को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु प्रस्तुत किया हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 ने कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/2026/128 दिनांक 01.04.2026 से टिप्पणी पेश कर यह निवेदन किया है कि यदि पत्रावलियां स्थानान्तरित की जाती है,तो कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गालवा ने उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं कर बहस करने का निवेदन किया तथा फहरिस्त मय दस्तावेज पेश किये जो संलग्न पत्रावली किये गये।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

प्रार्थी का बहस में कथन है कि अप्रार्थीया संख्या 2 ने अपने पिता भूराराम,भाईयों व बहनों के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर,मूण्डवा में राजस्व वाद संतोष बनाम भूराराम मौजा ईनाणा की राजस्व भूमि खसरा नम्बर 719,1604,2159/1666,2160/1666,2161/1666 की भूमि में से 1/7,1/7 हिस्सा दर्शित करते हुवे वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है तथा इस वाद के साथ प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुझ प्रार्थी को सुने बिना ही इस प्रार्थना–पत्र पर एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया है तथा इस आदेश को ता फैसला वाद पुख्ता किये जाने की पूरी–पूरी संभावना है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

प्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि इस प्रकरण से विवादित भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा पूर्व में इसी न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 232/2016 से जरिये राजीनामा हो चुका है तथा उस राजीनामा से प्रार्थीया को पूर्ण हक मिल जाने के बावजूद पुनः इस भूमि का वाद इसी न्यायालय में पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त कर लिया है। अब इसी स्थगन आदेश की आड़ में प्रार्थीया मुझे मेरे हिस्से से बेदखल करना चाहती है तथा भूमि का विक्रय अन्य भू माफिया को करके अनुचित लाभ प्राप्त करने की चेष्टा रखती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की पूर्ण सहे है तथा मैं जब भी पीठासीन अधिकारी महोदय से इस प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य बताना चाहता हूँ तो मेरे को सुनने से मना करते है तथा यही कहते है कि मैं इस प्रकरण में जारी पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को ता फैसला वाद पुख्ता करके आपको जमीन से बेदखल करके रहेगे। इसलिए निवेदन है कि पूर्व में इस जमीन का प्रकरण निस्तारित होते हुवे भी पुनः वाद इसी न्यायालय में फाईल करना तथा मेरे को पुनः सुनने से मना करने की स्थिति से मुझे पूर्ण अंदेशा है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी गैर सायल संख्या 2 को लाभ पहूँचाने की नियत से यह सारी कार्यवाहीयां मेरे विरूद्ध कर रहे है। इसलिए निवेदन है कि मेरा प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा इन प्रकरणों को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु भेजा जावें। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस फहरिस्त मय दस्तावेज पेश कर पूर्व में इसी न्यायालय से पारित प्रकरण की डिक्री राजीनामा की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन किया कि अगर प्रकरण में निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की संभावना प्रकट करने पर प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है ऐसे कई प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किये है।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस में यह कथन किया कि न्यायालय के पूर्व राजस्व वाद 232/2016 के तथ्य भिन्न होने से उस प्रकरण को इस प्रकरण पर लागू नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर,मूण्डवा के पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यो का विवेचन अपने आदेश दिनांक 02.12.2025 में करते हुवे अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम आदेश जारी किया है। अगर न्यायालय के इस आदेश से प्रार्थी को आपत्ति है तो अपीलीय न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है या फिर न्यायालय में प्रकरण का जबाब पेश कर अपना पक्ष न्यायालय में रख सकता है। प्रार्थी केवल मात्र पीठासीन अधिकारी पर दबाब बनाने की मंशा से इस प्रकार के प्रार्थना–पत्र पेश करता है।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 का यह भी कथन हैं कि प्रार्थी द्वारा इसी प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल हेतु प्रार्थना–पत्र संख्या 36/2026 बजरंगलाल बनाम श्री प्रभजोत सिंह गिल न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश कर रखा है तथा पुनः इसी प्रकार का यह प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में पेश कर दिया है इसलिए जब माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में इस प्रकार का प्रार्थना–पत्र पेश हो चुका है तो पुनः माननीय न्यायालय जिला कलक्टर को इस प्रकार का प्रार्थना–पत्र सुनना ही नहीं चाहिए इसलिए यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी बजरंगलाल ने प्रकरण संख्या 232/ 2016 में संतोष का फर्जी राजीनामा करवाया है,इसलिए उस प्रकरण में पारित निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,नागौर के यहां पेश की गई है। प्रार्थी झूठे तथ्यों के आधार पर अपने पक्ष में न्यायालय से निर्णय करवाना चाहता है तथा प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर इस प्रकार के आरोप लगाकर उन पर दबाब बनाना चाहता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र ठोस आधारो पर आधारित नहीं है,इसलिए मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी का पुनः बहस में निवेदन हैं कि अप्रार्थीया के अभिभाषक द्वारा पूर्व में जिस जमीन का बंटवाड़ा जरिये राजीनामा हो चुका है उसको पुनः चुनौती देते हुवे अन्य पक्षकारों से अलग–अलग वाद एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करवाये जाकर उनमें स्थगन आदेश प्राप्त कर मुझे बिना वजह परेशान कर रहे है तथा

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

इस सम्बन्ध में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत की हुई है,इसलिए प्रकरण को अन्य न्यायालय मे मुंतकिल किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

राजपैरोकार का दौराने बहस कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नियमों के परिपेक्ष में विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है,जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र संख्या 74/2025 की आदेशिका दिनांक 02.12.2025 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आदेश से प्रार्थी को (मूल प्रकरण के अप्रार्थी) को सुने बिना ही आगामी आदेशो तक की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हैं तथा दिनांक 02.12.2025 से आज तक प्रकरण में जबाब प्राप्त कर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया है,जिससे प्रार्थी के मन में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने की शंका हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा भी इस प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है। इसलिए न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी), मूण्डवा के प्रकरण संख्या 74/2025 अन्वान संतोष बनाम भूराराम एवं इससे सम्बन्धित मूल वाद संख्या 93/2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),मूण्डवा से आगामी सुनवाई हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) जायल में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी,मूण्डवा को आदेशित किया जाता हैं कि प्रकरण संख्या 74/2025 एवं वाद संख्या 93/2025 आगामी सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), जायल को भेजा जावे। निर्णय की प्रति दोनों सम्बन्धित न्यायालय को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ नागौर (राजस्थान) ★

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर,
नागौर